



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17032023-244438
CG-DL-E-17032023-244438

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 17, 2023/फाल्गुन 26, 1944

No. 4]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 17, 2023/PHALGUNA 26, 1944

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2023

का.नि.आ 4(अ).—केन्द्रीय सरकार, छावनी अधिनियम 2006, (2006 का 41) की धारा 15 की उप-धारा (1) के साथ पठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 4, तारीख 17 फरवरी, 2023, में प्रकाशित भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 3 (अ), तारीख 17 फरवरी, 2023, को उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे विखंडन से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विखंडित करती है।

[फा. सं. 14(4)/2023-डी(क्यू एंड सी)]

राकेश मित्तल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th March, 2023

S.R.O. 4(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 15 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Defence number S.R.O. 3(E), dated the 17th February, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 4, dated the 17th February, 2023, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. 14(4)/2023-D(Q&C)]

RAKESH MITTAL, Jt. Secy.